न्यायालय सहायक कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 80 / 2025

लालचन्द पुत्र हरफूल सिंह निवासी बजावा तहसील गुढागौडजी जिला झुंझुनू (राज.)
—वादी

बनाम

1. सीमा शर्मा पुत्री सत्यनारायण निवासी केड़ तहसील गुढागौडजी जिला झुंझुनूं।
2. तहसीलदार तहसील गुढागौडजी जिला झुंझुनूं।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन

निर्णय

दिनांक :— 05.05.2025

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम केड तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल खसरा नम्बर 126 रकबा 1.72 है0, खसरा नम्बर 142/4 रकबा 0.07 है0 तथा खसरा नम्बर 153 रकबा 0.11 है0 कुल किता 3 रकबा 1.90 है0 भूमि अवस्थित है। उपरोक्त भूमि में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सहखातेदार हैं व उनके मध्य प्रस्तुत भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है लेकिन काश्त की सहुलियत से मौके पर मौखिक विभाजन है, जिसके अनुसार मौके पर अलग—अलग कब्जे काश्त हैं। उक्त वर्णित भूमि विधिवत् विभाजन के अभाव में सीमाओं पर अक्सर विवाद बना रहता है। उक्त विवादित आराजी का राजस्व अभिलेख शामलाती है, जिसके कारण से हर सहखातेदार को अपनी भूमि से आवश्यक सुधार करने, ऋण आदि लेने में अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए वादी अपने हक व हिस्से की भूमि का मौखिक विभाजन के अनुसार अलग खाता व लगान कायम करवाना चाहते है, जिस हेतु प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 14.04.2025 से एकदम से इंकार है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विभाजन हेतु इंकार होने पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 15.04.2025 को पुनः सम्पर्क किया तथा वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत करवाकर ऐसा नहीं करने का निवेदन किया लेकिन वे दिनांक 15.04.2025 को पुनः विभाजन हेतु इंकार हो गये। इस कारण यह वाद इस न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक हुआ।

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय हाजा द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 30.04.2025 को वाद वादी प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/25/1337 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को बहस पत्रावली पर सुना गया। अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: निर्णय :–

वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम केड तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल खसरा नम्बर 126 रकबा 1.72 है0, खसरा नम्बर 142/4 रकबा 0.07 है0 तथा खसरा नम्बर 153 रकबा 0.11 है0 कुल किता 3 रकबा 1.90 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/25/1337 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, झुंझुनूं जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्री सुप्रिया आर. ए. एस.)

उनवान

लालचन्द बनाम सीमा शर्मा आदि

निर्णय दिनांक : 05.05.2025

मुकदमा नं. : 80 / 2025

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अरविन्द सैनी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 05.05.2025 को सुप्रिया सहायक कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम केड तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल खसरा नम्बर 126 रकबा 1.72 है0, खसरा नम्बर 142/4 रकबा 0.07 है0 तथा खसरा नम्बर 153 रकबा 0.11 है0 कुल किता 3 रकबा 1.90 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/25/1337 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)

सहायक कलक्टर, झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा	2 1	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
योग	3	योग	

(सुप्रिया)

सहायक कलक्टर, झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं